HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA), OCT. 27, 2005 (KRTK. 5, 1927 SAKA) 4102

HARYANA GOVERNMENT TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT Notification

The 27th October, 2005

No. CCP(NCR)/EW/GGN/23/CA/B/2005/1673.- In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of Section-4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act. 41 of 1963), the Governor of Haryana hereby declares the area within a distance of two kilometers around Government Primary School, Village Kaliawas (Hadbast No. 41), district Gurgaon as specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto, to be a controlled area for the purpose of the said Act, namely:-

Schedule

Schedule of boundaries of the controlled area around Government Primary School at Village Kaliawas (Hadbast No. 41), district Gurgaon to be read with Drawing No. DTP (G) 1391/05, dated the 16th June, 2005.

North: Starting from point 'A' i.e. North-West corner of rectangle No. 2 of village Kaliawas (Hadbast No. 41), towards South along the Eastern revenue boundary of village Kaliawas (Hadbast No. 41), upto North-West corner of rectangle No. 53 of village Budhera (Hadbast No. 43), thence towards East along Northern revenue boundary of village Budhera (Hadbast No. 43), upto point 'B' i.e. North-East corner of rectangle No. 57 of village Budhera (Hadbast No. 43).

East: Thence from point 'B' towards South along Eastern boundary of rectangle Nos. 57, 80 and 89 of Village Budhera (Hadbast No. 43), upto point 'C' i.e. South-East corner of rectangle No. 89 of Village Budhera (Hadbast No. 43).

South: Thence from point 'C' towards West along Southern boundary of rectangle Nos. 89, 88, 87 and 86 of village Budhera (Hadbast No. 43) and rectangle Nos. 20, 21, 22, 23 and 24 of village Kaliawas (Hadbast No. 41), upto South-West corner rectangle No. 24 of village Kaliawas (Hadbast No. 41), thence towards South along Eastern boundary of rectangle Nos. 28 and 39 of village Kaliawas (Hadbast No. 41), and rectangle Nos. 25 and 50 of Village Sultanpur (Hadbast No. 39), upto South-East corner of rectangle No. 50 of Village Sultanpur (Hadbast No. 39), thence towards West along Southern boundary of rectangle Nos. 50 and 49 of village Sultanpur (Hadbast No. 39), upto point 'D' i.e. the South-West corner of rectangle No. 49 of Village Sultanpur (Hadbast No. 39).

West: Thence from point 'D' towards North along Western boundary of rectangle Nos. 49, 26 and 22 of Village Sultanpur (Hadbast No. 39), upto North-West corner of rectangle No. 22 of village Sultanpur (Hadbast No. 39), thence towards East along revenue boundary of village Sultanpur (Hadbast No. 39), upto the point where it meets the revenue boundary of village Kaliawas (Hadbast No. 41), thence towards North along the revenue boundary of village Kaliawas (Hadbast No. 41), upto point 'A' i.e. the point of start.

SHAKUNTLA JAKHU,

Financial Commissioner and Principal Secretary to Government Haryana, Town and Country Planning Department.

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA), OCT. 27, 2005 (KRTK. 5, 1927 SAKA) 4101

हरियाणा सरकार नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना

दिनांक 27 अक्तूबर, 2005

संख्या सी0 सी0 पी0 (एन0 सी0 आर0) इर्ष डब्लयू०/जी0 जी0 एन0/23/सी0 ए0/बी0/2005/1673.— पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 4 उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट और इससे संलग्न योजना में दर्शाये गये, गावं कलियावास ,जिला गुड़गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के इर्द गिर्द दो किलोमीटर के भीतर के क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये नियन्त्रित क्षेत्र घोषित करते हैं, अर्थात् :—

अनुसूची

गावं कलियावास (हदबस्त संख्या 41), जिला गुड़गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के इर्द गिर्द नियन्त्रित क्षेत्र की सीमाओं की अनुसूची को ड्राईंग संख्या डी०टी०पी० (जी) 1391/2005, दिनांक 16 जून, 2005, के साथ पढ़ा जाये।

- उत्तरः बिन्दु 'ए' अर्थात् गांव किलयावास (हदबस्त संख्या 41), की आयत संख्या 2 का उत्तर-पश्चिम कोना से प्रारम्भ करते हुये, दिक्षण की तरफ गांव किलयावास (हदबस्त संख्या 41), की पुर्वी राजस्व सीमा के साथ-साथ गांव बुढ़ेड़ा (हदबस्त संख्या 43) की आयत संख्या 53 के उत्तर-पश्चिम कोने तक, फिर पूर्व की तरफ गांव बुढ़ेड़ा (हदबस्त संख्या 43) की उत्तरी राजस्व सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'बी' अर्थात् गांव बुढ़ेडा (हदबस्त संख्या 43) के आयत संख्या 57 के उत्तर'पूर्व कोने तक।
- पूर्वः तत्पश्चात् पश्चिम की तरफ बिन्दु 'बी' से गांव बुढ़ेड़ा (हदबस्त संख्या 43) की आयत संख्या 57, 80 तथा 89 की पूर्वी सीमा के साथ—साथ बिन्दु 'सी' अर्थात् गांव बुढ़ेड़ा (हदबस्त संख्या 43) के आयत संख्या 89 के दक्षिण—पूर्व कोने तक।
- दक्षिणीः तत्पश्चात् पश्चिम की तरफ बिन्दु 'सी' से गांव बुढ़ेड़ा (हदबस्त संख्या 43) के आयत संख्या 89, 88, 87 तथा 86 और गांव किलयावास, (हदबस्त संख्या 41)ए की आयत संख्या 20, 21, 22, 23 तथा 24 की दिक्षणी सीमा के साथ—साथ गांव किलयावास, (हदबस्त संख्या 41), की आयत संख्या 24 के दिक्षण—पश्चिम कोने तक, फिर दिक्षण की तरफ गांव किलयावास (हदबस्त संख्या 41), की आयत संख्या 28 तथा 39 और गांव सुलतानपुर (हदबस्त संख्या 39) की आयत संख्या 25 तथा 50 की पूर्वी सीमा के साथ—साथ गांव सुलतानपुर (हदबस्त संख्या 39) की आयत संख्या 50 के दिक्षण—पूर्व कोने तक, फिर पश्चिम की तरफ गांव सुलतानपुर (हदबस्त संख्या 39) की आयत संख्या 50 तथा 49 की दिक्षणी सीमा के साथ—साथ बिन्दु 'डी' अर्थात् गांव सुलतानपुर (हदबस्त संख्या 39) की आयत संख्या 49 के दिक्षण—पूर्व कोने तक।
- पश्चिमः तत्पश्चात् उत्तर की तरफ बिन्दु 'डी' से गांव सुलतानपुर (हदबस्त संख्या 39) की आयत संख्या 49, 26 तथा 22 की पश्चिमी सीमा के साथ—साथ गांव सुलतानपुर (हदबस्त संख्या 39) की आयत संख्या 22 के उत्तर—पश्चिम कोने तक, फिर पूर्व की तरफ गांव सुलतानपुर (हदबस्त संख्या 39) की राजस्व सीमा के साथ—साथ उस बिन्दु तक जहां यह गांव कलियावास, (हदबस्त संख्या 41), की राजस्व सीमा से मिलती है, फिर उत्तर की तरफ गांव कलियावास, (हदबस्त संख्या 41), की राजस्व सीमा के साथ—साथ बिन्दु 'ए' तक जो प्रारम्भ का बिन्दु है।

शकुन्तला जाखू, वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।